राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014/53 दिनांकः—01/01/2020

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,राज0,जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर), (पंचायत) ।

विषय :— पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 में मतदान दल के सदस्यों के कार्य विभाजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं (पंच एव सरपंच) के लिए आम चुनाव करवाये जाने हेतु अपने पत्रांक 6256 दिनांक 26.12.2019 के द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई हैं। मतदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तीन चरणों में सम्पन्न होगा। उक्त चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पंच पद का निर्वाचन मतपेटी से एवं सरपंच पद का निर्वाचन ई.वी.एम से सम्पन्न कराया जायेगा, इस प्रकार मतदान बूथ पर दोनों प्रकार की मतदान प्रणाली का एक साथ प्रयोग किया जायेगा। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव ई.वी.एम. अथवा मतपेटी से कराये जाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों हेतु अलग–अलग मार्गदर्शिका राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित की गई है। ये मार्गदर्शिकाऐं राज्य निर्वाचन आयोग की बेबसाईट (www.sec.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है। इन मार्गदर्शिकाओं में मतदान दल के सदस्यों का कार्य विभाजन, मतदान मतपेटी से अथवा ई.वी.एम के माध्यम से कराये जाने को ध्यान में रखकर तदनुरूप अंकित किया गया है परन्तु अब पंच पद का मतदान मतपत्र से तथा सरपंच पद का मतदान ई.वी.एम मशीन से होगा, ऐसी स्थिति के कारण मतदान दलों का कार्य विभाजन निम्नानुसार रहेगा। निर्वाचन के लिए मतदान दल में एक मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) तथा चार सहायक मतदान अधिकारी शामिल होंगे।

(1) प्रथम सहायक मतदान अधिकारी (चिन्हित मतदाता सूची एवं मतदाता पर्ची) :—

1. प्रथम सहायक मतदान अधिकारी चिन्हित मतदाता सूची एवं मतदाता पर्ची का प्रभारी होगा और मतदाता की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विर्निदिष्ट फोटो दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पहचान के साथ–साथ **अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का कोई निशान तो नहीं है।**
3. इसके पास निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं सरपंच पद के लिए काम आने वाली सफेद रंग की मतदाता पर्ची होगी।
4. मतदाता की पहचान हो जाने पर यह अधिकारी मतदाता की प्रविष्टि के समस्त विवरण को जोर से बोलेगा जिससे द्वितीय मतदान अधिकारी और पीछे बैठे हुए पोलिंग एजेन्ट सुन सकें। मतदान अभिकर्त्ता यदि चाहें तो इस वक्त पहचान बाबत् एतराज उठा सकते हैं।

पहचान हो जाने के तुरन्त बाद यह अधिकारी प्रत्येक ऐसे मतदाता के नाम के नीचे लाईन (Underline) खींच देगा और यदि मतदाता महिला है तो महिला मतदाता के नाम के बायीं तरफ टिक (√) लगायेगा तथा यदि मतदाता, मतदाता सूची में थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित है तो उसके नाम के बायीं तरफ स्टार (*) लगायेगा। जिससे मतदान के अंत में गिनकर यह पता लगाया जा सके कि कुल कितने पुरूष मतदाताओं, कितने स्त्री मतदाताओं तथा कितने थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित मतदाताओं ने मत दिये। दृष्टिबाधित/दिव्यांग मतदाता जिनको पीठासीन अधिकारी की सहायता की आवश्यकता हैं, ऐसे मतदाताओं के मामले में मतदाता की क्रम संख्या पर "AA" भी अंकित कर दें। जिस मतदाता की पहचान भारत निर्वाचन आयोग से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र से की जाये उसके नाम के आगे 'E' शब्द

लिखे। मतदान समाप्ति के पश्चात् उक्त प्रकार के अंकनों के आधार पर गणना कर सूचना एकत्र की जायेगी, मतदाताओं का उक्तानुसार वर्गीकरण पीठासीन अधिकारी की डायरी तथा Form of Statistics में अंकित किया जायेगा।

5. साधारणतया प्रत्येक मतदाता उम्मीदवारों के बूथों से पहचान पर्ची लाते हैं, जिसकी सहायता से पहला सहायक मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में उसका नाम ढूंढता है, पर यदि कोई मतदाता अपने साथ ऐसी पर्ची नहीं भी लाये तो भी इस मतदान अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे मतदाता का नाम ढूंढे तथा पर्ची न होने के कारण मतदाता को नहीं लौटायें।

नोट :– पहचान पर्ची सफेद कागज पर मुद्रित हो सकती है और जिस पर केवल निम्न विवरण छपाये जा सकते हैं :–

(i) जिला परिषद / पंचायत समिति / ग्राम पंचायत का नाम व निर्वाचन क्षेत्र संख्या।
(ii) मतदान केन्द्र की संख्या व नाम।
(iii) मतदाता का नाम।
(iv) मतदाता सूची में मतदाता की वार्ड संख्या और क्रम संख्या

इस पर उम्मीदवार का नाम व चुनाव चिन्ह छापना कानूनी अपराध है। पहचान स्थापित हो जाने के बाद पहचान पर्ची को फाड़कर कूड़ेदान की टोकरी में डालें, **फर्श पर नही फेंकें।**

6. मतदान बूथ पर बैठे मतदान अभिकर्त्ता / उम्मीदवार / निर्वाचन अभिकर्त्ता यदि चाहे तो इस स्टेज पर किसी मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकते है बाद में नही।
7. चुनौती (चैलेन्ज) होने के बाद की सारी कार्यवाही पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) द्वारा संपादित की जायेंगी।
8. पहचान स्थापित हो जाने के बाद प्रथम सहायक मतदान अधिकारी सरपंच पद के लिए सफेद रंग की मतदाता पर्ची जारी करेगा, तथा मतदाता को दे देगा। मतदाता अब द्वितीय मतदान अधिकारी (मतदाता रजिस्टर एवं अमिट स्याही) के पास चला जायेगा।

(2) द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी (मतदाता रजिस्टर एवं अमिट स्याही) :–

1. द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर एवं अमिट स्याही का प्रभारी होगा। इसके पास निम्नांकित सामग्री होगीः–
   (i) सरपंच पद के लिए मतदाता रजिस्टर।
   (ii) अमिट स्याही।
   (iii) बाल पैन।
   (iv) स्टॉम्प पैड।
2. प्रथम सहायक मतदान अधिकारी से प्राप्त सरपंच पद की सफेद मतदाता पर्ची की सहायता से द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी मतदाताओं की प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर (प्ररूप–12) में करेगा और मतदाता के हस्ताक्षर / अंगूठा उक्त रजिस्टर में करायेगा। मतदाता रजिस्टर के प्रथम कॉलम में निरंतर क्रम संख्या लिखी जायेगी जो क्रम संख्या–1 से प्रारंभ होगी। रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ में 15 क्रम संख्यायें रखे जाने का प्रावधान रखा गया है और मतदान अधिकारी को चाहिये कि कुछ पृष्ठों पर इस कॉलम में अग्रिम रूप से क्रम संख्यायें अंकित कर लें। रजिस्टर के दूसरे कॉलम में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में जिस वार्ड से संबंधित है उसकी संख्या तथा मतदाता की मतदाता सूची में जो क्रम संख्या है वह लिखी जायेगी। उदाहरण स्वरूप मतदान प्रारंभ होने पर प्रथम क्रम पर आने वाला मतदाता जिसका नाम वार्ड सं. 1 की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या 518 पर दर्ज है के लिये मतदाता रजिस्टर के कालम (1) में क्रम संख्या–1 दर्ज होगी तथा दूसरे कॉलम में 1 / 518 दर्ज किया जायेंगा। दूसरे क्रम पर आने वाले मतदाता जिसका नाम वार्ड नं. 3 की मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में क्रम संख्या 313 पर है तो रजिस्टर के प्रथम कॉलम में क्रम संख्या–2 और द्वितीय कॉलम में 3 / 313 अंकित किया जायें ओर इसी प्रकार प्रविष्टियां रजिस्टर में होती रहेंगी।
3. मतदाता की पहचान किसी फोटो युक्त दस्तावेज, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रयोजनार्थ विर्निदिष्ट किये हैं से की जानी है। अतः ऐसे पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम चार डिजिट (digit) मतदाता रजिस्टर के अभ्युक्तियां (Remark) वाले कॉलम 4 में लिखे जायेंगे । यदि ऐसे दस्तावेज की क्रम संख्या चार डिजिट से कम है तो उस स्थिति में दस्तावेज पर अंकित पूरी क्रम संख्या को अंकित कर लिया जायें।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान